MR. CHAIRMAN: The next supplementary is being asked.

श्री अमर आलम खान: माननीय सभापति जी, मेरा ताल्लुक मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से है। न तो वहां जल रहा है और न जल स्तर। मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि मुजफ्फरनगर, जिसकी तहसील बुड़ना, जिसमें ट्यूबवैल का जो पंखा होता था, वह अब से दस साल पहले बिल्कुल ऊपर रखा जाता था, आज दस वीघे का काश्तकार दो लाख रुपए ट्यूबवैल में खर्च करता है और पचास फुट गहरा कुआं खोदकर पानी की सिंचाई करता है, जिससे वहां का जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या मुजफ्फरनगर के लिए वे कोई योजना तैयार करेंगे, जिससे कि वहां के पेयजल का संकट दूर हो? माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह समस्या प्रदेश सरकार की है, मान्यवर, जल मंत्री तो आप हैं और हम लोग यहां राज्य सभा के सदस्य हैं, तो हम आपसे दरखास्त नहीं करेंगे, आप उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दें, ताकि वहां का जल स्तर ऊपर लाया जा सके।

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Sir, I share the concern of the hon. Member and I will write to the Chief Minister. This is my commitment. But, in the meantime,... *(Interruptions)*... Uttar Pradesh, we assessed 803 units and the number of over-exploited areas is 37 and that means five per cent of it. The critical situation is in two areas.

श्री अमीर आलम खान: यह आपकी जो लिस्ट जारी हुई है, इसमें मुजफ्फरनगर का नाम नहीं है, मेरठ मंडल का भी नाम नहीं है, सहारनपुर मंडल का नाम नहीं है।

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Now that you have mentioned that, I will take up the matter with the Chief Minister. That I have said. But, in the meantime, I was quoting the figures relevant to Uttar Pradesh, not every district.

MR. CHAIRMAN: Question No. 263.

डा0 मुरली मनोहर जोशी: सर, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है । ....(**व्यवधान**)....

MR. CHAIRMAN: Dr. Sahib, there are so many other questions, what am I to do?

डा मुरली मनोहर जोशी: अगर मंत्री इतने लंबे जवाब देंगे और उन्हें आप रोकेंगे नहीं और ....(**व्यवधान**)....

MR. CHAIRMAN: All right. I take your point.

डा0 मुरली मनोह्र जोशी: तो क्या होगा?

MR. CHAIRMAN: I take your point.

डा0 मुरली मनोहर जोशी: हमें आप कहते है कि छोटा सवाल पूछिए और मंत्री जी को आप इजाज़त देते हैं कि ....(**व्यवधान**)....

MR. CHAIRMAN: I take you point.

डा0 मुरली मनोहर जोशि: कि out of range जाकर जवाब दें। ....(**व्यवधान**)....

MR. CHAIRMAN: I have already said that. I take the hon. Member's point. I would request the Ministers to be crisp in their responses. Please let the next Question proceed. ...*(Interruptions)*... Question No. 263. ...*(Interruptions)*... Please don't interrupt.

डा0 मुरली मनोहर जोशी: सर, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ....(**व्यवधान**).... बहुत पहले से हमने हाथ उठाया है। ....(**व्यवधान**)....

ए0टी0एम0 में नकली नोट

*263. **सुश्री सुशीला तिरिया**:
श्री मोती लाल वोरा:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विभिन्न बैंको द्वारा ए0टी0एम0 में पांच सौ रुपए के नकली नोट डाले जाते हैं, जिसके कारण उपभोक्ताओं को न केवल आर्थिक क्षति होती है, बल्कि वे शक के घेरे में आ जाते है ।

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे बैंकों के विरुद्व अभी तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) रिजर्व बैंक द्वारा 500 रुपए के प्रचलन से वापस ले लिए गए नोट/ नकली नोटों के संबंध में बैंकों को क्या निर्देश दिए गए हैं और बैंकों द्वारा ऐसे मामले किस प्रकार से निपटाए जाते हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) भारतीय रिजर्ब बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि निम्नलिखित बैंक शाखाओं नामतः सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन्डसइन्ड बैंक, भारतीय बेक, एचएसबीसी बैंक, एबीएन एमरो बैंक, आईसीआईसीआई बैंक तथा आईडीबीआई बैंक एटीएम के माध्यम से जाली करेन्सी नोट वितरित करने के संबंध मे बैंक को वर्ष 2007 के दौरान साथ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने दो मास्टर परिपत्र जारी किए है, जिनमें बैंकों को सलाह दी गई है किः-

(1) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने एटीएम में सिर्फ अच्छी गुणवत्ता वाले असली बैंक नोट रखें। एटीएम के माध्यम से जाली नोटों का संवितरण संबंधित बैंक द्वारा जाली बैंक नोटों को वितारित करने का प्रयास माना जाएगा।

(ii) बैंकों को अपने प्रधान कार्यालय में जाली बैंक नोटों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों का शाखाओं के लिए प्रचार करने एवं इन अनुदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भली- भांति छांटे और जांचे गए बैंक नोट ही एटीएम में डाले जाएं और बैंक नोटों पर कार्रवाई करते समय तथा इन्हें ले जाते समय पर्याप्त सुरक्षाएं लागू करने हेतु एक नकली (जाली) नोट सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए।

(iii) बैंकों को मुद्रा पेटी रखने वाली सभी शाखाओं में जाली नोटों का पता लगाने के लिए नोट छंटाई मशीनें लगानी चाहिएं। बैंक ऐसी मशीनों की स्थापना, अपनी शाखाओं में और जनता के इस्तेमाल के लिए पटल पर, करने का भी विचार कर सकते हैं।

(iv) बैंकों को जाली मुद्रा का पता लगाने के संबंध में स्टाफ के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।

(v) यदि जाली नोट मुद्रा पेटी से विप्रेत हुए पाए जाते हैं, जाली बैंक नोटों के मूल्य के बराबर की पूरी राशि बैंक के चालू खाते में जमा की जाएगी और जाली बैंक नोटों की राशि पर भारतीय रिवर्ज बैंक के पूर्व विप्रेषण की तारीख से दंड ब्याज लगाया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को (क) ज्यादा नकदी लेन-देन वाली, (ख) अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों के पास स्थित और (ग) जहां बडी संख्या में जाली नोटों का बार-बार पता चला है, वहां स्थित बैंक शाखाओं में नोट छंटाई मशीनें संस्थापित करने की सलाह भी दी है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सलाह दी है कि प्रत्येक बैंक नोट, जिसके जाली होने की आशका है अथवा जो जाली पाया गया है, पर ः जाली बैंक नोट" की मोहर लगाई जाए। जाली बैंक नोट जांच हेतु स्थानीय पुलिस को सौपें जाएंगे और प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ आई आर) दर्ज की जानी चाहिए।

Fake currency notes in ATMs

†*263. MS. SUSHILA TIRIYA:
SHRI MOTILAL VORA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(g) whether Government is aware of uploading of fake currency notes of Rs. 500 into the ATMs by different banks which not only causes financial loss to consumers but also brings them under suspicion;

(h) if so, the action taken, so far, by Government against such banks; and

(i) the direction of RBI to various banks pertaining to currency notes of Rs. 500 taken out of circulation/found fake and how such cases are resolved by these banks?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the Rajya Sabha.

Statement

(a) to (c) Reserve Bank of India (RBI) has reported that during the year 2007, the bank has received seven complaints regarding dispensing of fake currency notes through ATMs of following bank branches, namely Central Bank of India, Indusind Bank, State Bank of India, HSBC Bank, ABN Amro Bank, ICICI Bank and IDBI Bank.

RBI has issued two Master Circulars advising Banks that:

(i) Banks should ensure that they stock their ATMs with good quality genuine banknotes only. Disbursement of counterfeit notes through the ATMs would be treated as an attempt to circulate the counterfeit banknotes by the bank concerned.

(ii) Banks should establish at its Head Office, a Forged (Counterfeit) Banknote Vigilance Cell to disseminate RBI instructions on counterfeit banknotes to the branches and monitor the implementation of these instructions, to ensure that properly sorted and examined banknotes only are fed into the ATMs and to put in place adequate safeguards both during the processing and transport of banknotes.

(SO Bank should equip all the Currency Chests maintaining branches with note sorting machines to detect the counterfeit notes. The banks may also consider setting up such machines at their branches and for public use at the counter.

(iv) Banks should undertake regular training programmes for the staff on detection of counterfeit currency.

(v) In case counterfeit notes are found in remittances from currency chests, entire amount equal to the value of counterfeit banknotes will be debited to the bank's current account and penal interest will be levied on the amount of counterfeit banknotes from the date of previous remittance to RBI.

RBI has also advised Banks to install Note Sorting Machines at bank branches (a) having large cash transactions, (b) located along international border areas and (c) where large number of counterfeit notes have been detected frequently.

RBI has further advised the banks that each banknotes, which is suspected to be counterfeit or is found to be a counterfeit, shall be branded with a stamp 'COUNTERFEIT BANKNOTE. The counterfeit banknotes shall be forwarded to local police for investigation and an FIR should be lodged.

†Original notice of the question was received in Hindi.

MR. CHAIRMAN: Please. .'.'*(Interruptions)*... That question is over. ...*(Interruptions)*... Will you please resume your place? ...*(Interruptions)*... No, no, there would be an occasion to ...*(Interruptions)*...

श्रीमती जया बच्चन: सर, सवाल पूछने दीजिए ।

डा0 मुरली मनोहर जोशी: सर, यह तो अन्याय है। देश के प्यासे लोगों के साथ बहुत अन्याय है । ....(**व्यवधान**)...

इस देश में बहुत ज्यादा प्यास है। ....(**व्यवधान**)...

श्रीमती जया बच्चन: सर, पानी की समस्या किसानों के साथ भी जुड़ी हुई है। ....(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: If this House wishes to have a discussion on the subject ...*(Interruptions)*... All right. ...*(Interruptions)*... Fine. That's a point well made. It will be reflected to the Government and reflected in the agenda. ...*(Interruptions)*... The hon. Minister is ready to have a discussion. ...*(Interruptions)*...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, let us have a discussion right now. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, Sir. Next is Question No. 263.

MS. SUSHILA TIRIYA: Sir, the Minister has agreed in his reply that there are fake notes in ATMs since 2002. Sir, I would like to know from the Minister whether it has been proved that the neighbouring countries or ISI have been involved in the circulation and printing of fake currency to destabilise the Indian economy. Sir, whether the Ministry has any periodical review about it. May I also know whether the Ministry has constituted any committee with financial experts and bank officials?

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, the Reserve Bank of India has issued two master circulars to take into account and to instruct all the banks about the steps that they have got to take to detect any fake currency notes anywhere. But, as far as the question relating to the border transaction is concerned, there is no definite evidence to that effect. But, with strong fundamentals of our economy, we can rest assure that nothing, as such, would affect us. In fact, the question relates only to the ATMs; otherwise, Sir, when it comes to the other thing, it is a fact that, from time to time, the banks receive a few fake currency notes here and there which are detected—and they are mostly detected—to be fake currency notes and, at the same time, the police is always vigilant. Sir, this is a matter which falls wihtin the jurisdiction of the police department, as such. The police is always vigilant and we have the statistics with us for the last three years. We can provide the statistics as to what is the number of cases which were detected by the banks and reported periodically to the Reserve Bank of India. There are stipulations to that effect. We also have the figures as to what is the number of cases where the police, on its own, seized the currency.

MS. SUSHILA TIRIYA: Sir, my second supplementary is: Has the Government decided to set up special courts to speed up trial on fake Indian currency and what steps are taken by RBI to enhance security features to reduce fake currency? Sir, according to my information, even in the customs checking at the airports, the X-ray machines are not able to detect this fake currency when these checks are undertaken.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, according to the circular that I referred to, it is mandatory for all the currency chests to install the sorting out machines through which all the notes will pass and any note which is detected is immediately taken note of and regular inventory is made, a reciept has to be issued and further it has to be reported to the Reserve Bank of India. Sir, all the branches have also been asked to have ultraviolet lamps and the bank officers, dealing with disbursement as also withdrawal of the currency, are well trained

to look into this and always to take note of it. That is the reason why, from time to time, we detect that.

When it comes to the question which the hon. Member has asked about the setting up of special courts, Sir, this offence falls under the normal law of the country, that is, the Indian Penal Code and there are adequate provisions to that effect. The situation is not alarming for us to think about it. But, we are always conscious of the fact and various steps are being taken. Sir, the matters are reported to the National Crime Records Bureau also. And all the agencies which are there at the border, whether Border Security Force or other forces, are always alert. Anything comes to their notice, due cognizance thereof is taken.

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो निर्देश जारी हुए थे, उन निर्देशों में जाली नोटों के बारे में कहा गया था इसकी बराबर जांच करें। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा हैकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एच0एस0बी0सी0 बैंक, ए0बी0एन0एम्रो0 बैंक, आई0सी0आई0सी0आई0 और आई0डी0बी0 आई0 बैंक के ए0टी0एम के माध्यम से जाली करेंसी नोट वितरित करने के संबंध में 2007 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ए0टी0एम0 में इन बैंकों से अगर जाली नोट निकले हैं तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जो निर्देश जारी हुए थे, तो वह किस सन् में इस प्रकार के निर्देश जारी हुए। माननीय सभापति महोदय, सन् 2008 में आज भी इन अधिकांशा बैंकों की गड्डियों मे जाली नोट एक नहीं, दो नहीं, जो समाचार पत्रों से पता चला है कि लगभग डेढ़ सौ-दो सौ नोट एक बंडल में निकल पाते है ....(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please put your question. ...*(Interruptions)*...

श्री मोती लाल वोरा: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर इस प्रकार का जो गिरोह काम कर रहा है, चाहे वह उत्तर प्रदेश मे हो या दिल्ली में हो, क्या इस बारे में आपके पास कोई ऐसी जानकारी है कि जो लोग इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह में लगे हुए हैं, वे गिरफ्तार हुए है?

श्री पवन कुमार बंसल: सर, जिस परिपत्र का मैंने जिक्र किया था, दो जुलाई, 2007 में दो मास्टर परिपत्र जारी किए गए थे। उससे पहले भी थे, लेकिन ये दोनों विस्तारपूर्वक ढंग से एक-एक बात की हिदायत देते हुए कि बैंकों को किस तरह से काम करना है, जिसका जिक्र मैंने पहले किया है, यह दोनों परिपत्र इश्यू हुए है और उसी के तहत प्रायः सभी बैंक समय-समय पर अपनी रिपोर्ट जब भी उन्हें तिमाही रिपोर्ट देनी पड़ती है, वे आगे भेजते हैं। उसमें एक-एक महीने का हिसाब दिया होता है और वह रिपोर्ट रिजर्व बैंक के पास जाती है। सर, यह कहना सही नहीं होगा कि बहुत बडी तादाद में मिल रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा, वह मैं आपको बतला देना चाहता हूं, देखने में शायद वह ज्यादा लगते हों लेकिन हमारे देश की जो पूरी मुद्रा है उसके हिसाब से उसका वह बहुत कम हिस्सा बनता है। लेकिन फिर भी उसमें हर वक्त चौकसी बरती जाती है किसी भी एजेंसी की तरफ से इस काम में कोई कोताही नहीं होती। जिस परिपत्र का मैं जिक्र कर रहा था उसमें यह भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि सिर्फ ए0टी0एम में डालते वक्त ही नहीं, जब बैंक अपने ए0टी0एम्ज के लिए पैसा रवाना करते हैं, उस वक्त भी उस चीज का ध्यान रखा जाए, ताकि कहीं ए0टी0एम में ऐसा नोट नहीं निकले। आज जो हमारे सामने है वह 7 बैंकों के सिर्फ 7 केस है। एक –एक बैंक के एक-एक ए0टी0एम में और ए0टी0एम0 की तादाद तो आप जानते ही है, सिर्फ एक-एक ए0टी0एम0 में एक-एक नोट ही मिला है और वह भी तब जब वह चौकसी इस्तेमाल की गई है, उसी के कारण व चीज सामने आई है। उसके हिसाब से आगे के लिए भी मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमेशा इसके लिए आगे जो भी एहतियात करने होंगे, जो भी आगे कार्यवाही करनी होगी, वह रिज़र्व बैंक हर वक्त करता रहेगा।

SHRI M.V. MYSURA REDDY: Sir, the counterfeit currency being pumped into the country's economy is of such a superior quality that even the seasoned officers are finding it difficult to distinguish it from originals. In such a situation, I want to know from the hon. Minister about the steps being taken by the Government to weed out the fake currency. Sir, 1 also

want to know from the hon. Minister whether there is any proposal for changing the printing technology.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, from time to time, when a new set of notes is introduced, the security features are always improved upon. It is again, an on-going process. A detailed list of all the security features of all the currency notes in circulation as on date has been circulated by the Reserve Bank of India to all the banks along with the two circulars. As I said, Sir, the officers of the banks are adequately trained, and from time to time, training is imparted to them. Sir, it has been the experience that the number of notes which banks have detected is only because of the reason that they have been imparted the necessary training. The moment a note passes through the hands of the officers, even without the sorting machines, they are able to detect it. Sir, all the branches do not have the sorting machines, though the banks have been asked that they could install there also. But ultra-violet lamps they have, or, even the counting machine is there at every level, so, whenever there is doubt, every time, the banks are able to detect it.

श्री वीरेन्द्र भाटिया: सभापति जी, अभी माननीय वोरा जी ने प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने सम्भवतः नहीं दिया। मत्री जी ने अपना उत्तर एटीएम तक सीमित रखा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह बता रहा हूं कि जो गड्डियां बैंक देती है, उनमें अकसर जाली नोट पाये जाते हैं और जब नोट पाये जाते हैं और जब उसी ब्रांच में जाकर वही गड्डी जमा करते हैं, तब वे कहते हैं कि इसमें जाली नोट है। उसके पश्चात् जब उनसे यह कहा जाता है य्ह गड्डी आप ही से ली गयी है, तब उनके द्वारा यह कहा जाता है कि हम मामला पुलिस को रेफर कर देंगे, नहीं तो जो जाली नोट हैं, उनका क्लेम आप न करें, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसमें आप कोई कार्यवाही करेंगे?

एक दूसरी बात और है। उच्चतम न्यायालय ने, चूंकि लोगों का हासमेंट हो रहा था, एक नोट, दो नोट के आधार पर क्रिमिनल प्रोसिक्युशन हो रहा था, उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में यह कहा कि केवल कुछ नोट पाये जाने से अपराध नहीं बनता है। इसलिए इस प्रकार का संशोधन आईपीसी में किया जाये, वरना अभी भी, उच्च्तम न्यायालय के निर्देश के बावजूद भी, कभी-कभी एक और दो नोट को लेकर निर्दोष व्यक्तियों को पुलिस परेशान करती है और यहां तक कि जेल भी भेजती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार आप कोई इस प्रकार का संशोधन आईपीसी में कर रहे हैं या इस पर कोई कार्यवाही करने का विचार कर रहे हैं?

श्री पवन कुमार बंसल: सर, सबसे पहले तो मैं यह दरख्वास्त माननीय सदस्य से करना चाहूंगा कि अगर आपके पास कभी इस प्रकार की शिकायत आती है कि बैंकों की तरफ से ये गलत पहुंचे हैं, एक विचार बन जाये, शायद वह वाजिब नहीं होगा, लेकिन कोई भी शिकायत, किसी वक्त यह पहुंचे कि बैंकों ने जो पैसे दिये हैं, उनमें जाली नोट मिले हैं, उनके बारे में हमें बताइये, क्योंकि रिज़र्व बैंक के इस मामले में बहुत सख्त निर्देश हैं। ....(**व्यवधान**)...

श्री शाहिद सिद्दीकी: कॉमन मैन कैसे जायेगा? ....(**व्यवधान**)...
श्री पवन कुमार बंसल: अगर रिज़र्व बैंक से ....(**व्यवधान**)...

श्री वीरेन्द्र भाटिया: बैंक वाले कहते हैं कि हम अभी पुलिस बुलाते हैं? ....(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please let the answer be completed. ...*(Interruptions)*... Please let the answer be completed. ...*(Interruptions)*...

श्री पवन कुमार बंसल: सर, मैं यह कह सकता हूं कि ये जवाब यह चाहते हैं ....(**व्यवधान**)...

श्री अमर सिंह: मंत्री जी, आप आम आदमी को समय देंगे? आप समय देंगे। ....(**व्यवधान**)... एक आम आदमी क्या वित्त मंत्री जी से मिल पायेगा? ....(**व्यवधान**)...

श्री पवन कुमार बंसल: अगर ये जवाब यह चाहते हैं, तो मैं यह भी कह सकता हूं कि बैंकों की गाड्डियों में यह नोट नहीं मिलते। ....(**व्यवधान**)... मैं यह भी कह सकता हूं कि ये नहीं मिलते। ....(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please let the supplementary be asked. ...*(Interruptions)*...

श्री पवन कुमार बंसल: ....(**व्यवधान**)... इन्होंने कहा कि इनको वहां परेशानी होती है। अगर बैंक का कोई अफसर किसी वक्त, किसी को परेशान करता है, तो रिज़र्व बैंक उसके खिलाफ एक्शन लेगा, क्योंकि रिज़र्व बैंक ने यह भी हिदायत दी हुई है कि ....(**व्यवधान**)... अगर किसी वक्त करेंसी चेस्ट से कोई पैसा कहीं पहुंच जाये, जहां ये नोट रहते हैं, तो रिज़र्व बैंक उन पर पीनल इंटरेस्ट भी लगता है और उसके लिए यह बहाना नहीं जाना जाता है कि यह पहली बार हुआ है या कभी उनसे गलती नहीं होती। रिज़र्ब बैंक हमेशा इस पर कार्यवाही करता है। ....(**व्यवधान**)...

श्री अमर सिंह: सर, एमपीज को फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने का टाइम नहीं मिलता है, तो आय आदमी कैसे उनसे मिल सकता है। ....(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: अमर सिंह जी, प्लीज़। ....(**व्यवधान**)... सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने दीजिए ....(**व्यवधान**)...

श्री पवन कुमार बंसल: सर, मैं माफी चाहता हूं। मैंने वोरा साहब के प्रश्न के जवाब में कहा था कि वह तिमाही, लेकिन मैंन साथ-साथ मासिक भी कह दिया था, वह रिपोर्ट बैंकों की तरफ से मासिक रिपोर्ट जाती है न कि तिमाही। ....(**व्यवधान**)...

श्री राजनीति प्रसाद: सर, मंत्री जी ने जो बात कही है ....(**व्यवधान**)...
श्री जयन्ती लाल बरोट: सर, हमें भी प्रश्न पूछने के लिए समय दिया जाये। ....(**व्यवधान**)...
श्री राजनीति प्रसाद: सर, आप एक मिनट रुक जाइये। ....(**व्यवधान**)... सर, हमको शिकायत की है कि जो नोट के बंडल होते है ....(**व्यवधान**)... उसमें सर्टिफिकेट रहता है कि यह नोट इतने रुपये का है, उस पर बैंकों का ....(**व्यवधान**)...

श्री जयन्ती लाल बरोट: सर, इधर से भी सदस्य हाथ उठा रहे है। ....(**व्यवधान**)...

श्री राजनीति प्रसाद: सर, आप बोलने दीजिए। ....(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt.
श्री राजनीति प्रसाद: सर, नोट के बंडल पर बैंक का सर्टिफिकेट होता है, हम लोग घर ले जाते हैं। सर, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। उसके बाद जब हम किसी दुकानदार को उसे देने के लिए जाते हैं, तो वह बोलता है कि इसमें जाली नोट है, तब आप किसको कम्पलेंट करेंगे? अगर मैंनेजर को कम्पलेंट करेंग़े, तो वह बोलेगा कि यह नोट मेरे यहां का नहीं है। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस तरह का जो लोगों का क्लेम है, वह कितना है और आपने कितने बैंकों पर केस किये हैं, कितने उनके खिलाफ मुकदमें किये हैं, जहां पर जाली नोट पाये जाते हैं?
श्री पवन कुमार बंसल: सर, मैं अदब के साथ फिर यह कहना चाहता हूं कि बैंक्स की तरफ से जाली नोट का वितरण नहीं होता है। ....(**व्यवधान**)...

माननीय सदस्य : होता है। ....(**व्यवधान**)...

श्री पवन कुमार बंसल: सर, नहीं होता है। ....(**व्यवधान**)... मैं फिर यह कह देना चाहता हूं कि जो फिगर्स पुरे देश भर से वैसे मिलती रही है ....(**व्यवधान**)... सर, इन्होंने यह नहीं कहा कि वह बैंक में गये और उनके साथ यह हुआ। उन्होंने कहा है कि ऐसा होता है। मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होता, उन्होंने बस इतना ही कहा है। इन्होंने यह नहीं कहा कि मैं गया और मेरे साथ ऐसा हुआ। ....(**व्यवधान**)... लेकिन, जो फिगर्स है, वह पूरे पेरे बैंकों ने , ...(**व्यवधान**)... सर, जो बैंको ने रिकवर किये और जो पुलिस ने सीज़ किये, उन सभी को मिलाकर पिछले वर्ष का जो टोटल है उसमें छोटे

नोट और बड़े नोट मिलाकर, खासतौर से 500 के और 100 के नोट ज्यादा इस में मिले है, सभी को मिलाकर साल का चार करोड़ हुआ है और 1262 लोगों के खिलाफ FIR दायर हुई है।

Proposal for tourism projects in Kerala

*264. PROF. P.J. KURIEN: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

1. the details of projects proposals relating to tourism received from the State Government of **Kerala** for Central assistance; and

2. the action taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF TOURISM (SHRIMATI AMBIKA SONI): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Ministry of Tourism has received the following project proposals from the State Government of Kerala for grant of Central Financial Assistance during the year 2007-08:

Sl.No	Name of the project
1	2
I.	Setting up of the Institute of Hotel Management, Catering Technology & Nutrition at Kozhikode (Kerala)
2.	Development of Kodungallor Heritage Tourism Circuit
3.	Development of Nila Heritage Tourism Circuit
4.	Development of Integrated Rural Tourism at Village Clappana District Kollam
5.	Development of Integrated Rural Tourism at Village Kayakulam District
6.	Development of Pathiramanal Bio-park
7.	Development of Wayanad under destination scheme
8.	Development of Kerala Kalamandalam as a cultural tourism destination
9.	Development of Bekal as a major tourist destination providing the Bekal-Goa-Kasaragod live aboard facility
10.	Development of Mangalam Dam as a tourist destination
11.	Development of Kozhikode as a major tourist destination—Sarovaram Nature Park
12.	Development of Kottakkunnu in Malappuram as a tourist destination
13.	Development of Malampuzha in Palakkad as a tourist destination
14.	Onam festival
15.	Nishagandhi Dance & Music festival
16.	Pooram festivals of Kerala
17.	Thalassery festival
18.	Preparation of Master Plan for development of Wayanad as a major destination
19.	Developing IT promotional tools